अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा धारा 82 द0 प्र0 सं0

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि श्री आभि॰ परवेज पुत्र दुल्लन खां पुत्र दुल्लन खां निवासी मुल्लाडिया थाना मीरगंज जिला बरेली ने ~~भा0द0 सं0~~ NDPS Act की धारा 8/21/27A/29 NDPS Act अ0 सं0 ४ थाना ~~चालानी~~ N.C.B. जिला बाराबंकी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है/या सन्देह है कि उसने किया है और उस जारी किये गये गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त आभि॰ परवेज S/o दुल्लन खां मिल नहीं रहा है ओर मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त आभि॰ परवेज S/o दुल्लन खां फरार हो गया है या उक्त वारण्ट की तामीली से बचने के लिये अपने आपको छिपा रखा है।

इसलिये इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि S.S.T. No.- 901/12, भारत संघ vs शाकिर रजा आदि के उक्त आभि॰ परवेज S/o दुल्लन खां से अपेक्षा की जाती है कि यह इस न्यायालय के समक्ष या मेरे समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिये न्या॰ - अपर सत्र न्यायाधीश, न्या॰ सं॰ 2 बाराबंकी स्थान में तारीख 2-1-2020 को हाजिर हों।

अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं॰ 2, बाराबंकी

तारीख 25/10/19

न्यायालय की मुहर

हस्ताक्षर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या-2 बाराबंकी

CHO.

मो॰ आरिफ
12-12-19
रफीक अहमद

असहाब खाँ नन्हे खाँ
ग्राम मुल्लाडिया

12-12-19
7617772216